

कश्मीरी पंडितों और स्थानीय नागरिकों की हत्या संबंधी सवाल मुझसे करें, उनसे नहीं !

रवीश कुमार

कश्मीर में नागरिकों की हत्या को आप किस तरह से देखते हैं यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से देखना चाहते हैं। अगर आपने तय कर लिया है कि ऐसे ही देखना है तब फिर देखने की भी क्या जरूरत है। आतंकवादी हत्या करने में किसी का मजहब नहीं देख रहे हैं, लेकिन हत्या की राजनीति का बट्टवारा मजहब के हिसाब से किया जाने लगा है।

जब भी कश्मीर में कुछ होता है यूपी बिहार की राजनीति के लिए मसाला तैयार किया जाने लगता है। कहां तो सबको पूछना था कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए लाई गई नोटबंदी का क्या हुआ? आतंकवाद को खत्म करने के लिए धारा 370 की समाप्ति का क्या असर हुआ? वर्षों कश्मीर में आतंकवादी आम नागरिकों की हत्या कर रहे हैं? अगर सरकार आतंक को समाप्त करने का श्रेय लेते हैं तो नए आतंकी संगठन के उभर आने और आतंकी हमलों के बढ़ने की ज़मिदारी लेने सामने वर्षों नहीं आती है?

पिछले एक साल में कश्मीर में आतंकवादियों ने 28 नागरिकों की हत्या की है। इनमें आम नागरिक हैं, शिक्षक हैं, पंचायत के सदस्य हैं। इनमें से 21 मुसलमान हैं। इन 28 लोगों में से 21 मुसलमान हैं। 7 गैर मुसलमान हैं।

पिछले हफ्ते सात लोगों की हत्या हुई है। जिनमें से तीन मुसलमान हैं। एक कश्मीरी पंडित और एक सिख हैं। दो कश्मीर से बाहर के हैं। दोनों ही दलित हैं। आतंकवादियों ने इनकी हत्या इसलिए की क्योंकि उनके अनुसार ये लोग सरकार की मुख्यबिरामी कर रहे थे।

आतंक से लड़ रहे थे। इसमें शिक्षक हैं। पुलिस बल में काम करने वाले लोग हैं और पंचायत के सदस्य हैं। आतंक के खिलाफ इनकी शहादत का व्यापक महत्व है। उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों के लिए भी जान दी और कश्मीरी पंडितों के लिए भी।

आतंकियों द्वारा मुसलमानों और कश्मीरी पंडितों की हत्या को आग अलग अलग खांचे में नहीं बांट सकते। आतंकवादियों ने 2019 में 36 और 2020 में 33 नागरिकों की हत्या की है।

इनमें से ज्यादा मुसलमान हैं। किसी ने सुध नहीं ली कि कश्मीर में क्या हो रहा है। क्यों आतंकी आम नागरिकों की हत्या कर रहे हैं?


पिछले हफ्ते श्रीनगर में आतंकवादियों के उसी नए गुट टी आर एफ ने मजीद अहमद गोजरी और मोहम्मद शफी लोन की हत्या कर दी। घाटी का कोई नेता दोनों के घर नहीं गया। क्या आई टी सेल ने इन्हें देश के लिए मनने वालों के रूप में याद किया?

क्या उसकी नजर में आतंक से लड़ने वाले नागरिकों का कोई महत्व नहीं है? दूसरी तरफ यह अच्छी बात है कि कश्मीरी पंडित और सिख शिक्षिका की हत्या होने पर सभी आगे गए। सुपिंदर कौर और उनके सहयोगी दीपक चांद की हत्या कर दी।

हिन्दू अखबार ने लिखा है कि स्कूल में काम करने वाले मुस्लिम सहयोगियों ने अल्पसंख्यक सहयोगियों को घर तक छोड़ा।

माखन लाल बिन्दूर के घर स्थानीय लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। उनके ग्राहक भी उनके लिए आए। बिन्दूर के घर फारुक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी। फारुक अब्दुल्ला ने कहा कि शैतानों ने हत्या की है। बिन्दूर की बेटी ने कहा कि वे घाटी छोड़ कर जाने वाली नहीं हैं।

आतंकवादी उनके पिता की हत्या कर सकते हैं, उनकी सोच को नहीं। कई कश्मीरी पंडितों ने कहा कि वे बिन्दूर की हत्या उन पर निजी हमले की तरह है। तीन



तीन पीढ़ियों से उनके यहां से दवाई लेते आए हैं। कोई इस हत्या को लेकर आतंकवादियों के साथ नहीं है।

जमू कश्मीर के पुलिस अधीक्षक दिलबाग सिंह का बयान छपा है कि घाटी के सभी तबके ने इस हत्या की निंदा की है।

कई लोगों ने पूछा कि क्या वहां के आम मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों की हत्या के खिलाफ जुलूस निकाला। प्रदर्शन किया? इसका जवाब हाँ या ना में मांगने से पहले देखिए कि वहां 5 अगस्त 2019 के बाद से प्रदर्शन करने का राजनीतिक और सामाजिक ढांचा किस तरह से खत्म कर दिया गया।

जब यह सब खत्म किया जा रहा था तब आप ही इसका समर्थन कर रहे थे। आतंकवादियों ने सरकार का साथ देने के शक के आधार पर 21 मुसलमानों की हत्या कर दी। उनके लिए भी कोई जुलूस नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, इस प्रश्न पर आप जरा विचार करें।

आगर उनके लिए निकला होता और फिर कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं निकलता तो आप कह सकते थे कि स्थानीय लोग कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं हैं। आपने देखा कि कश्मीर के नेता मजीद और शफी के घर नहीं जाते हैं, बिन्दूर और कौर के घर जाते हैं। अल्पसंख्यक को भरोसा देने के लिए विशेष रूप से पहल करनी ही चाहिए जो कश्मीर के नेताओं ने किया।

हत्या करने वाले आतंकी संगठन टी आर एस ने चेतावनी दी है कि कोई भी सरकार की मदद करेगा, चाहे वह किसी धर्म का हो, नहीं छोड़ा जाएगा। चाहे वह बाहरी हो या भीतरी।

जमू कश्मीर के पुलिस अधीक्षक दिलबाग सिंह ने कहा है (हिन्दू अखबार) कश्मीर के स्थानीय मुसलमानों को बदनाम करने के लिए हत्याएं हो रही हैं। बेकसूर नागरिकों को मार कर कश्मीर के भाईचारे पर हमला किया जा रहा है।

कश्मीरी पंडितों की हत्या का अपना एक ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व है। बेशक आतंकवादियों ने 21 मुसलमानों की हत्या कर दी क्योंकि वे आतंक के खिलाफ सरकार के साथ थे लेकिन कश्मीरी पंडितों की हत्या को संघर्ष से अलग हट कर देखना चाहिए।

एक कश्मीरी पंडित की हत्या भी हजारों कश्मीरी पंडितों की हत्या के समान है क्योंकि इस हत्या से 1990 के दौर के खौफनाक मज़बूत सामने आ गए हैं। आशंकाएं बढ़ गई हैं कि कहीं फिर से ऐसा तो शुरू नहीं होगा। घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों और सिखों के बीच असुरक्षा की भावना फैल गई है।

एक सप्ताह से सिख और पंडित मुलाज़िम काम पर नहीं गए हैं। वे घरों से

नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए माखन लाल बिंदूर और सिख शिक्षिका सुपिंदर कौर की हत्या को हम संघर्ष के आधार पर नहीं देख सकते। वे सुरक्षित महसूस करें इसकी ज़मिदारी केंद्र सरकार और वहां की सरकार की है।

कश्मीर में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी बाहर कम आ रही है। मुख्यधारा का मीडिया वहां अब नहीं है। वहां को लेकर सरकार का प्रोपैगेंडा चलता है लेकिन उससे हालात नहीं बदलते।

क्या आपको पता है कि बीजेपी के नेता और पंचायत सदस्य राकेश पंडितों की हत्या हुई तो उनके परिवार को 45 लाख मुआवज़ा मिला, लेकिन बीजेपी के ही मुस्लिम पंचायत सदस्य की हत्या हुई तो उनके परिवार को 5 लाख मुआवज़ा मिला?

क्या ऐसा किया जाना सही है? मुआवज़ों की इस तरह की राजनीति से सरकार समाज को किस तरह से बांट रही है?

आतंकवादियों ने दो दलित मज़दूरों की हत्या कर दी, जो कश्मीर के बाहर से थे। भागलपुर के बीरेंद्र पासवान की हत्या हुई तो उनका पार्थिव शरीर परिवार को नहीं सौंपा गया। परिवार ने अंतिम दर्शन तक नहीं किया और कश्मीर में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया।

बीरेंद्र पासवान के साथ आतंकवादियों ने ही नहीं बल्कि सरकार ने भी वैसी ही करूरत की। किसी ने उनके साथ हुई नाइंसाफी को लेकर रवीश कुमार से नहीं पूछा कि वो क्यों चुप है? क्या सरकार ने बीरेंद्र पासवान के साथ ठीक किया?

क्या सरकार उनके पार्थिव शरीर को भागलपुर नहीं पहुंचा सकती थी? क्या मेरी चुप्पी का पूछने वाले सरकार से यह सवाल कर रहे हैं?

हमें देखना चाहिए कि स्थानीय प्रशासन किस तरह लोगों में विश्वास बना रहा है या अविश्वास की नई रेखाएं खींच रहा है। मीडिया में छपी कई रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि उन लोगों से वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करने के लिए कहा गया है। जिन्हें लगता है कि उन्हें अपनी ज़मीन बेचने के लिए मजबूर किया गया।

1997 में फारुक अब्दुल्ला ने डिस्ट्रेस सेल एक्ट बनाया था लेकिन वह कानून कभी अमल में नहीं आया। नए प्रशासन ने वेबसाइट बनाकर लोगों से शिकायत दर्ज करने की बात कहीं। हमारे सहयोगी नज़ीर ने बताया कि कई ज़िलों में बड़ी संख्या में शिकायतें फैल गई हैं।

कई शिकायतों में यह भी बात निकल कर आई है कि ज़्यादातर ज़मीन की बिक्री के मामले में पावर ऑफ एटार्नी ज़मू में बनी है। घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों की शिकायतें नहीं हैं। जिसने ज़मीन खरीदी थी वह भी कई लोगों को ज़मीन बेच चुका है तो खरीदार से नई कीमत वसूलने का

कश्मीर की घटनाएं बता रही हैं कि वहां पर अवाम और जवान दोनों सुरक्षित नहीं हैं। आज ही पुँछ में आतंकी हमले में कई जवान शहीद हो गए। ट्रांजिट कैंप में कश्मीरी पंडित कैंपिंगों का जीवन जी रहे हैं।

आतंकी आम लोगों पर शक कर रहे